



पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय वायु सेना स्थल ओझर
PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA AFS, OJHAR

Ref.No. F.2745 /1203/ KVOJH-Admission / 2026-27 /

Date: 16/04/2026

कक्षा ग्यारहवीं हेतु प्रवेश सूचना / ADMISSION NOTICE FOR CLASS-XI
(सत्र / SESSION 2026-27)

विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु / FOR SCIENCE AND COMMERCE STREAM

S. NO.	PROCESS	DATE(S)	REMARKS
1.	विकल्प फॉर्म की हार्ड कॉपी विद्यालय में वितरित करना अथवा क्लास व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी साझा करना . Distribution of hard copy of Option Forms in school office (all stream) Or Sharing of softcopy of Option form via Class WhatsApp group. Its available on school website https://afsojhar.kvs.ac.in also	16.04.2026 To 21.04.2026	11.00 Noon To 1. 00 PM (On working Day)
2.	विधिवत भरे एवं हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की हार्ड कॉपी तथा नीचे दी गई सूची के अनुसार सभी आवश्यक स्व-सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करना। Submission of hardcopy of duly filled-in and signed Option form along with self-attested relevant documents applicable as per the list given below	16.04.2026 To 21.04.2026	11.00 Noon To 1. 00 PM (On working Day)
3.	प्रवेश के लिए पात्र छात्रों की अनंतिम चयन सूची कक्षा व्हाट्सएप समूह और विद्यालय नोटिस बोर्ड/विद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करना। Sharing of provisional Merit List of students eligible for admission via Class WhatsApp group and Display on Vidyalaya Notice board/Vidyalaya website.	23.04.2026	After 2.00 PM
4	पात्रता के विवरण की जांच के बाद पात्र विद्यार्थियों को स्कूल अधिकारियों / ग्यारहवीं कक्षा के शिक्षकों द्वारा सूचित करने के पश्चात यूबीआई आईडी से शुल्क भुगतान कर प्रवेश निश्चित करना। Admission and fee payment by UBI ID after intimation by school authorities/Class Teachers of Class XI after scrutinizing the details of eligibility	24.04.2026 afternoon To 25.04.2026	online

1. प्रवेश के लिए इच्छुक सभी छात्रों को निर्धारित समय में विकल्प फॉर्म भरना अनिवार्य है। It is compulsory for all the interested Students to fill-up the option form in schedule time.
2. विकल्प फॉर्म के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज Documents to be attached with the Option Form :
 - a) सीबीएसई द्वारा जारी मैट्रिक (दसवीं कक्षा) की मार्कशीट की प्रति Copy of mark sheet of Matriculation (Class X) issued by CBSE.
 - b) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के नाम से जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि। Copy of Caste Certificate in the name of the Student if belongs to SC / ST / OBC category issued by a Competent authority.
 - c) खेल में भागीदारी के प्रमाण के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां (कम से कम केवीएस क्षेत्रीय / राज्य जिला स्तर पर) / स्काउट और गाइड (कम से कम तृतीय सोपान 5 बैज) / एनसीसी (कम से कम एनसीसी ए प्रमाणपत्र) / साहसिक गतिविधि (कम से कम एक 10 दिनों का शिविर) आदि हेतु संबन्धित प्रमाणपत्र। इन प्रमाणपत्रों के आधार पर केविसं के प्रवेश दिशा-निर्देशानुसार रियायत दी जाएगी। Photo copies of Certificates issued by Competent authority for participation in Sports & Sports (at least KVS Regional/State District Level onwards) / Scout & Guide (At least Tertiary Sopan 5 badges onwards) / NCC (At least NCC A Certificate onwards) / Adventure activity (at least one 10 days Camp) for seeking concession of 2% - 6% in aggregate marks in case the students with said credential falls short of eligible marks. Students to send soft copy of Certificate of his/her highest Level Participation amongst any one of the above referred different activities. Highest participation in any one of the activity would be considered for concession.
 - d) विकलांगता के आधार पर रियायत हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाणपत्र की प्रति / Divyang/PH Certificate issued by competent authority if applicable. A concession of maximum 4% aggregate marks may be given for those who are falling short for eligibility.
3. अंकों की रियायत केवल प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर दी जाएगी। समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों के बिना किसी भी छूट नहीं दी जाएगी। Concession of Marks will be given only on the basis of supporting documents. **No concession /relaxation will be allowed without supporting documents.**
4. अपूर्ण भरे हुए विकल्प फॉर्म को पूर्णतः खारिज कर दिया जाएगा। Incomplete Option Forms will be summarily rejected.
5. सभी अभिभावकों द्वारा अन्य दस्तावेजों के अनिवार्य रूप से अनुलग्नक I के रूप में स्व घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

Self-declaration as Annexure I to be submitted by invariably by all the Parents along with other documents.

प्राचार्य /
PRINCIPAL